

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 615 तिथि- 11.01.2018 के संदर्भ में

श्रीमती श्रीमती देवी, पति-श्री वैद्यनाथ दूबे, डाइरेक्टर-श्री ग्रीस किशोर सिन्हा, पिता-ग्रजेन्द्र बहादुर सिन्हा, डेभलपर्स - मेसर्स अजलफा विल्डींग कन्सट्रक्सन प्रा० लि०, डाइरेक्टर-नौसाद आलम, पिता-श्री अदालत हुसैन, पता-हाउस नं०-506 ए / जे 503, न्यू अजीमाबाद, महेन्द्र, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
(ग) भवन के पुनःनिर्माण
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 6/5... प्लॉट नं०- 566 एवं 567, खाता नं०- 128, 129, तौजी नं०-5854 एवं 5855, थाना नं०- 17, मौजा- सिकन्दरपुर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-....4.9...../18-19 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 6675.64 वर्ग मीटर एवं B+G+7 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2483.52 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 24.39 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(द) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने या विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ब) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ग) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की भविष्य में इसमें किसी प्रकार की भ्रष्टि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(घ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमित विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र

(ङ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण जाना अनिवार्य होगा।

(च) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जा

(ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(त) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अधरस्तः करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नियमावली 2017 के तहत
हवन में नक्शा भू-सम्पदा
इस परियोजना का निबन्धन

80/

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निज

ज्ञापांक:-/दिनांक:- 22/05/2018

प्रतिलिपि:- श्रीमती श्रीमती देवी, पति-श्री वैद्यनाथ दूबे, डाइरेक्टर-श्री ग्रीस किशोर सिन्हा, पिता-अजेन्द्र बहा
डेभलपर्स - मेसर्स अजलफा विल्डींग कन्सट्रक्सन प्रा० लि०, डाइरेक्टर-नौसाद आलम, पिता-श
हुसैन, पता-हाउस नं०-506 ए / जे 503, न्यू अजीमाबाद, महेन्द्रू, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निज